सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2007/00005

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 18 / 2017

1. राजवीर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. जगतार सिंह पुत्र हमीर सिंह निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रधुवीर सिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत 8 एच संगतपुरा।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री तेजासिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 25.06.2020**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 10 क्यू के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 3 में पशुओं के लिए जोहड़ एवं पीने के पानी के लिये डिग्गी जब से गांव आबाद हुआ था तब से बनी हुयी है। मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 3 में पीने के पानी के लिये डिग्गी एवं पशुओं के पीने के लिये जोहड़ आरक्षित किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर 25X165 फुट जगह में विधि के विरूद्व फर्जी पट्टा बनवा लिया है जबकि जोहड़ की भूमि को ग्राम पंचायत को अलाटमेन्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये ग्राम पंचायत का आदेश विधि विरूद्व होने के कारण काबिले खारिजी है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और न ही कोई नोटिस जारी किया गया और न ही कोई निलामी का नोटिस निकाला गया न ही कमेटी का गठन किया गया। वादग्रस्त भूमि में पशुओं के लिये जोहड़ बना हुआ है वर्तमान में भी छप्पड़ में सभी ग्रामवासियों के पशु पानी पीते है अब अप्रार्थी संख्या 2 आज से 15 दिन पहले छपड़ में मिट्टी डालकर बन्द करने लगा तो ग्रामवासियों को पता चला तब ग्रामवासियों ने उसको रोका तो उसने कहा कि मेरे पास पट्टा है पट्टे के आधार पर मै इस पर निर्माण कार्य करूंगा। ग्रामवासियों के द्वारा एक बार तो मिट्टी डालने से अप्रार्थी संख्या 02 को बन्द करवा दिया लेकिन जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है उसे निरस्त करना जरूरी है। निगरानीकर्ता द्वारा फर्जी पट्टे की नकल लेने के लिये मोजूदा सरपंच से निवेदन किया तो मौजूदा सरपंच ने यह कहा कि मेजरसिंह सरपंच द्वारा काटा गया है उसका रिकॉर्ड भी मुझे नहीं दिया। इसलिये नकल नहीं मिल सकती ऐसी सूरत में बिना नकल के निगरानी दर्ज की जाने की अनुमति देना इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। प्रार्थी ने मेजर सिंह सरपंच से जाकर निवेदन किया उसने कहा की मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उक्त जोहड़ में सारे ग्रामवासीगण 10 क्यू का हित है और ग्रामवासियों के पशु पानी यही से पीते है इसलिये अधीनस्थ अदालत के आदेश से प्रभावित है और निगरानी पेश करने के अधिकारी है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर चक 10 क्यू मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 3 में बने जोहड़ में 25X165

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ... (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्लाट के पट्टा को निरस्त कर जोहड़ के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि चक 10 क्यू के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 3 में पशुओं के लिए जोहड़ एवं पीने के पानी के लिये डिग्गी जब से गांव आबाद हुआ था तब से बनी हुयी है। मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 3 में पीने के पानी के लिये डिग्गी एवं पशुओं के पीने के लिये जोहड़ आरक्षित किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर 25X165 फुट जगह में विधि के विरूद्व फर्जी पट्टा बनवा लिया है जबकि जोहड़ की भूमि को ग्राम पंचायत को अलाटमेन्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये ग्राम पंचायत का आदेश विधि विरूद्व होने के कारण काबिले खारिजी है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर चक 10 क्यू मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 3 में बने जोहड़ में 25X165 प्लाट के पट्टा को निरस्त कर जोहड़ के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आबाद मकान तामील पर चस्पांदगी से आदेशिका दिनांक 02.05.2007 में होना अंकित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ग्राम पंचायत 8 क्यू की तरफ से भी कोई उपस्थित नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि कार्यवाही रजिस्ट्रर ग्राम पंचायत 8 एच संगतपुरा में अंकित मिटिंग दिनांक 20.02.2007 के प्रस्ताव संख्या 03 जो कि पुराने गृहो के विनीयमतीकरण हेतु आवेदन लिया जाना अंकित है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम क.स.42 पर अंकित है। ग्राम पंचायत की मिटिंग दिनांक 21.05.2007 के प्रस्ताव संख्या 04 जो पुराने गृहो के नियमन हेतु लिया पारित किया गया में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम क.स.3 पर अंकित है एवं पट्टा का साईज 38X125 है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में रेस्पोडेन्ट रधुवीर सिंह के नाम से जारी पट्टा का साईज 25X165 का होना बताया। ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड के साथ पेश की गई पट्टा बुक में रेस्पोडेन्ट रधुवीरसिंह के नाम से पट्टा जारी होना नहीं पाया गया है, ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उपस्थित होकर अपना कोई पक्ष न्यायालय में रखा गया है। निगरानीकर्ता ने निगरानी में उक्त विवादित प्लाट को जोहड़ की भूमि होना अंकित है। जोहड़ की भूमि को ग्राम पंचायत आवंटन करने की अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 8 एच संगतपुरा को निर्देशित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट रधुवीर सिंह के नाम से जोहड़ पायतन की भूमि पर अनाधिकृत किसी प्रकार का कब्जा किया हुआ है तो उसे अतिक्रमी मानते हुए हटाने की व्यवस्था करें। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 25.06.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)